

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/पी-18/2018/649

दिनांक:- 10-5-2018

आदेश

श्रीमती पारूल शर्मा पत्नि श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, नर्स-2, राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय, बनीपार्क, जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8(क) में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार अपना नाम पारूल शर्मा के स्थान पर पारूल शेखावत किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।




(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/पी-18/2018/649

दिनांक:- 10-5-2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय, बनीपार्क, जयपुर उनके पत्रांक 3457 दिनांक 05.12.2017 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का कार्मिका की सेवापुस्तिका में यथास्थान इन्द्राज करें।
2. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर